न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 81 / 2023

1 प्यारेलाल पुत्र सांवल उम्र वर्ष जाति जाट निवासी तुकार्णी जोहडी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 कल्याण पुत्र सांवल जाति जाट निवासी तुकार्णी जोहड़ी तन खिरोड़ जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद गिरधरपुरा ग्राम पंचायत ढेवा की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 बुद्धराम पुत्र सांवल
3 रामस्वरूप पुत्र सांवल
4 बलवीर पुत्र सांवल
5 कौशल्या पुत्री सांवल
6 मणी देवी पुत्री सांवल
7 शारदा पुत्री सांवल
8 दयाराम पुत्र शिशुपाल सिंह
9 बलबीर पुत्र शिशुपाल सिंह
10 रामवतार पुत्र शिशुपाल सिंह
समस्त जाति जाट निवासी तुकार्णी जोहड़ी तन खिरोड़ जिला झुन्झुनू राज.।
11 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बसावा जिला झुन्झुनू राज. जरिये शाखा प्रबंधक।
12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.2023 मु.नं. 85/2023 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बउनवान कल्याण बनाम प्योरलाल आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अशोक महला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 85/2023 में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट (प्रार्थी) संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम तुकार्णी जोहड़ी पटवार हलका खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू की शरहद में स्थित कृषि खाता संख्या नया 62 पुराना 105 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 1.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 1.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रकबा 1.2500 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 6.7200 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है जिसमें आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 10 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 एक ही परिवार के सदस्य है। जिन्होंने विवादित भूमि को मौखिक रूप से बांट रखा है तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज है, काश्त है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 प्रत्येक का 1/16, 1/16 हिस्सा व अनावेदक संख्या 8 लगायत 11 का 1/8–1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है लेकिन उक्त विवादित भूमि का अभी तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए जब तक विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उक्त विवादित भूमि को किसी अन्य को विक्रय नहीं करें, खुर्द बुर्द नहीं करे रहन नहीं रखे। उक्त कार्य न तो स्वयं करें, ना किसी अन्य से करवाये, मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस तरह का आवेदन पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर एकपक्षीय सुनवाई कर उपरोक्त विवादित भूमि पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा दिया जावें। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अप्रार्थी/अपीलांट ने दिनांक 28.05.2023 को रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से उसके हिस्से का हक त्याग करवाया गया है। हक त्याग रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने अपनी इच्छा से अपने हिस्से को अपीलांट के पक्ष में करवाया गया है जो कानूनन विधि सम्मत है। अपीलांट के इस हक त्याग के नामान्तकरण को रूकवाने के लिए यह झूंठा दावा व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का बंटवारे से कोई लेना देना नहीं है। केवल मात्र अपीलान्ट का नामांतकरण रूकवाने के लिए यह एकपक्षीय आदेश लिया गया है। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश देते समय इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर शख्त कानूनी भूल की गई है। विचारण न्यायालय में आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ दावा हक त्याग को शून्य घोषित करवाने बाबत पेश किया गया है। हक त्याग को शून्य घोषित करने का कानूनी अधिकारी विचारण न्यायालय को प्राप्त नहीं है। हक त्याग रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसको शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। लेकिन विचारण न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और एकपक्षीय आदेश पारित कर कानूनी भूल की गई है। विचारण न्यायालय के एकपक्षीय आदेश दिये जाने से अपीलान्ट अपने हिस्से पर किसान केडिट कार्ड का ऋण नहीं ले सकता और कोई निरस्त व हक त्याग का नामान्तकरण अपने पक्ष में नहीं करवा सकता। इस आदेश से अपीलान्ट के अधिकारों का हनन हुआ है जो कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है। लेकिन विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त आदेश पारित करते समय इन कानूनी बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया दकर मनमाना आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार की जावें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। पक्षकारों के हितो का निर्धारण धारा 212 के आवेदन में उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)